



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त विवेक वाजपेयी पुत्र देवेन्द्र वाजपेयी निवासी नि० मो० सुभाष नगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन द्वारा नगर उरई क्षेत्र में चोरी की घटना कारित करना के संबन्ध में थाना कोतवाली उरई में मु०अ०सं० 583/2004 (वाद संख्या – 358/2005) धारा 379 भादवि में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 06.02.2024 को मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन स्थान उरई द्वारा अभियुक्त विवेक वाजपेयी उपरोक्त को दोषी पाते हुये 01 वर्ष 06 माह एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2024 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 18 वर्ष 01 माह) में दण्डित किया गया।



PO कन्दर्पेश द्विवेदी



पैरोकार पंकज कुमार

@jalaunpolice

jalaunpolice

Jalaun Police